महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email- affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :प.3.(26)/मसूबृवि/अकाद–II/2021/1633 दिनांक : 18/11/2022

स्थायी सम्बद्धता–आदेश (2021–22)

महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021–22 से स्थायी सम्बद्धता हेतु किये गये आवेदन पर विचार करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित निरीक्षण दल ने महाविद्यालय परिसर में भौतिक निरीक्षण सम्पादित किया। निरीक्षण दल द्वारा की गई अनुशंसा तथा निरीक्षण मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा पत्रावली के अनुच्छेद संख्या 41 पर अंकित आदेशों की पालना में व इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 799 दिनांक 20.12.2021 के अधिक्रमण मे कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धौलपुर को सत्र 2021–22 से निम्नांकित सूची अनुसार स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

सामान्य शर्ते–

1. महाविद्यालय द्वारा यू. जी. सी. मानदण्डानुसार योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति का विश्वविद्यालय से अनुमोदन आवश्यक है।
2. महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब व अन्य आवश्यक प्रयोगशालाओं की सुचारू व्यवस्था होना आवश्यक है।
3. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या निर्धारित मानको के अनुरूप होनी चाहिए।
4. निर्धारित FDR/Corpus Fundसचिव, कालेज एवं कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नाम से संयुक्त तथा संचालन (Mode of operation) भी संयुक्त (Joint) होगा, जो कि Originalविश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
5. महाविद्यालय के स्वामित्व में स्थायी भवन हो।
6. स्टाफ को वेतन बैंक के माध्यम से दिया जावे जिसकी प्रति प्रत्येक तिमाही मे विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
7. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एव NCTE द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार रहेगी।
8. महाविद्यालय संबंधी सूचना AISHE PORTALपर इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।
9. वार्षिक सम्बद्वता अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक सत्र में मूल राशि का 20 प्रतिशत सम्बन्द्वता शुल्क महाविद्यालय द्वारा जमा कराया जाएगा।

क्र.सं.	कॉलेज कोड	महाविद्यालय का नाम	संकाय	आवंटित सीट
1.	517	कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धौलपुर	**स्नातक कला संकाय –** हिन्दी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र अंग्रेजी साहित्य,	180
			स्नातक विज्ञान संकाय – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीवविज्ञान,	420
			स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय – रसायन शास्त्र	40
			स्नातकोत्तर कला संकाय – भूगोल	40

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर निम्नानुसार शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी–

1. ऐसे महाविद्यालय जो अपनी वेबसाइट चालू सत्र के दिसम्बर माह तक तैयार नहीं करते 5000/–रू।
2. महाविद्यालय द्वारा समय सारिणी, स्टाफ, छात्र संख्या व सभी प्रकार की फीस की जानकारी चालू सत्र के दिसम्बर माह तक वेबसाइट पर प्रदर्शित न करने पर 500/–रू. प्रतिदिन।
3. शैक्षणिक स्टाफ को दिया जाने वाले वेतन का बैंक विवरण प्रति त्रैमासिक प्रस्तुत न करने पर 5000/– रू प्रति माह।
4. शैक्षणिक स्टाफ एवं प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन की अनुमति चालू सत्र के दिसम्बर माह तक न करवाने पर 1000/– रू प्रतिदिन।
5. शैक्षणिक–स्टाफ को न्यूनतम 15600/–रू मूल वेतन व प्राचार्य को न्यूनतम 37400/–रू मूल वेतन न देने पर 1000/–रू प्रतिदिन।
6. **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों से वसूल किए जाने वाले शुल्क का 125% व कम से कम 5000/–रू प्रति छात्र।**
7. चालू सत्र के दिसम्बर माह तक बायोमेट्रिक मशीन स्थापित नहीं करने पर 5000/–रूपये।
8. शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गलत सूचना देने पर 20,000/–रू व यदि विश्वविद्यालय की सूचना प्राप्ति पर भी त्रुटि जारी रहती है तो सम्बद्धता समाप्त करना।

महाविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उपर्युक्त बिन्दु संख्या 06 लागू करें। उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता–निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

कुलसचिव

क्रमांक :– प.3(13)मसूबृवि/सम्बद्धता/2021/1633 दिनांक : 18/11/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री मान आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
5. लेखा शाखा/अकादमिक/स्थापना शाखा विश्वविद्यालय।
6. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव